




राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प. क. विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
राजस्थान, जयपुर।
फोन नं० ०१४१-२२२१८१२, ई-मेल:- pcpndt-rj@nic.in



क्रमांक : रा०पी०प्र० / राज्य सम./SSB Meeting / 2022 / ५५८

दिनांक : २६-५-२०२२

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 24.05.2022 को प्रातः 11 बजे राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड पीसीपीएनडीटी की वीडियो कॉन्फ्रेंस/बैठक पदेन अध्यक्ष एवं माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार की उपस्थिति में आरएचएसडीपी हॉल, स्वास्थ्य भवन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्य राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड व अन्य सम्बन्धित आमंत्रित सदस्यों ने भाग लिया।

अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी(पीसीपीएनडीटी) एवं मिशन निदेशक (एनएचएम) महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया तथा बैठक के एजेण्डा आइटम का संक्षिप्त व्यौरा प्रस्तुत किया गया, तत्पश्चात् परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) ने पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के राजस्थान राज्य में क्रियान्वयन बाबत् किये जा रहे कार्यों एवं प्रयासों के संबंध में माननीय सदस्यों को संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। निर्देशानुसार बैठक में एजेण्डा आइटम्स पर बिन्दुवार चर्चा कर सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिये गये:-

1. राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की पूर्व बैठक दिनांक 24.01.2022 में लिये गये निर्णयों पर परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।
2. सर्वप्रथम माननीय मंत्री महोदय द्वारा अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा की गई और रिपोर्ट को संतोषप्रद बताया। साथ ही राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ एवं थाना पीबीआई द्वारा की गई कार्यवाही की प्रशंसा की।
3. माननीय मंत्री महोदय द्वारा यह निर्देश प्रदान किये गये कि जो भी चिकित्सक डिकॉय कार्यवाही के दौरान भ्रूण लिंग परीक्षण में लिप्त पाये गये हैं उनका आरएमसी पंजीकरण के रददकरण एवं सरकारी सेवा में चिकित्सक होने की स्थिति में सेवा समाप्ति हेतु सम्बन्धित को पत्र लिखे जाने के निर्देश प्रदान किये।
4. बोर्ड द्वारा चर्चा की जाकर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सम्पूर्ण राज्य में राजकीय संस्थानों पर सोनोग्राफी कार्य करने के लिये योग्यताधारी चिकित्सकों को राज्य में स्थित सभी सोनोग्राफी मशीनों पर एक समान रूप से योजनानुसार पदस्थापित किया जावे जिससे की आमजन को सोनोग्राफी की सुविधा, सुगमता से उपलब्ध करवाई जा सके। राजकीय संस्थानों पर स्थित सभी अक्रियाशील सोनोग्राफी मशीनों को आवश्यक रूप से क्रियाशील किया जावे। इस हेतु निदेशक(जन स्वा.) द्वारा आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
5. परियोजना निदेशक(पीसीपीएनडीटी) ने बोर्ड को अवगत करवाया कि पीसीपीएनडीटी नियम, 1996 के नियम 3(3)(3) में अल्ट्रासोनोग्राफी करने के पात्र प्रत्येक चिकित्सा व्यवसायी

को जिले के अन्दर अधिकतम दो ऐसे क्लीनिक/केन्द्रों में ही पंजीकृत कराने की अनुमति प्रदान करने के प्रावधान है। इस हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देश प्रदान किये कि ऐसे योग्यताधारी चिकित्सकों को दो क्लीनिक/केन्द्रों पर पंजीकृत करने के प्रावधान की पाबन्दी समाप्त किये जाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

6. बोर्ड द्वारा चर्चा की जाकर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि राज्य में आमजन को सोनोग्राफी सुविधा उपलब्ध करवाये जाने हेतु व्यापक जनहित को देखते हुए पूर्व में राजकीय संस्थानों पर पदस्थापित सरकारी चिकित्सकों को 21 महीने का कोर्स करवाया जाकर सोनोग्राफी का कार्य करने हेतु योग्यता प्रदान की गई थी। ऐसे सभी चिकित्सकों को पूर्व की भाँति राजकीय संस्थानों पर सोनोग्राफी कार्य करने की अनुमति प्रदान की जावे एवं भविष्य में भी आवश्यकतानुसार सरकारी चिकित्सकों को ऐसा कोर्स करवाया जाने बाबत् निदेशक(जन स्वा.) एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
7. माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश प्रदान किये गये कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत सोनोग्राफी संस्थानों के पंजीयन/नवीनीकरण से प्राप्त होने वाली राशि का अप्रैल 2022 तक का ब्यौरा जिलों से प्राप्त किया जावे इसके साथ ही विगत 03 वर्ष का आय व्यय ब्यौरा भी प्राप्त किया जावे। माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह भी निर्देश प्रदान किये कि पीसीपीएनडीटी नियम, 1996 के नियम 5 के अन्तर्गत पंजीयन/नवीनीकरण से प्राप्त होने वाली राशि राज्य स्तर पर अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी के नाम से खोले गये प्राप्त होने वाली राशि राज्य स्तर पर अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी के नाम से खोले गये बैंक खाते में निक्षिप्त की जाये ताकि ऐसी राशि का उपयोग सम्पूर्ण राज्य में पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 का एक समान रूप से प्रभावी क्रियान्वयन करने हेतु किया जा सके।
8. माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश प्रदान किये गये कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत सोनोग्राफी संस्थानों के पंजीयन/नवीनीकरण से प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग भ्रून लिंग परीक्षण रोकने, मुखबिर योजना के प्रचार प्रसार हेतु आवश्यक रूप से किया जावे। भ्रून लिंग परीक्षण रोकने व मुखबिर योजना के पोस्टर राज्य में स्थित सभी चिकित्सा संस्थानों पर आवश्यक रूप से लगवाये जावे।
9. माननीय अध्यक्ष महोदय ने राज्य में स्थित सभी सोनोग्राफी संस्थानों का प्रत्येक 90 दिन में अनिवार्य रूप से एक बार निरीक्षण किये जाने तथा राज्य स्तर से विशेष दल गठित किये जाकर भी सोनोग्राफी संस्थानों के औचक निरीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये। प्रत्येक 90 दिन के उपरान्त जिला नोडल अधिकारी(पीसीपीएनडीटी) द्वारा सभी उपखण्ड समुचित प्राधिकारियों द्वारा सोनोग्राफी संस्थानों पर की गई निरीक्षण कार्यवाही एवं पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु किये गये प्रयासों का रिव्यू किया जावे और निरीक्षण कार्यवाही प्रभावी नहीं पाये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावे।
10. माननीय अध्यक्ष महोदय ने भ्रून लिंग परीक्षण में लिप्त व्यक्तियों को डिकॉय कार्यवाही कर पकड़ने के भी निर्देश दिये और इस हेतु मुखबिर तन्त्र को अधिक मजबूती से विकसित किये जाने के भी निर्देश प्रदान किये गये।
11. माननीय अध्यक्ष महोदय ने निदेशक(सीफू) को निर्देश दिये कि Survey and mapping of ultrasound clinic under PCPNDT act, 1994 & Mapping of districts/Block/Village with low sex ratio की रिपोर्ट शीघ्र ही राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ को उपलब्ध करावें।

- बैठक का समापन शासन सचिव एवं पदेन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड के सभी प्रतिभागी सदस्यों को धन्यवाद के साथ किया गया।
- आगामी बैठक अधिनियमानुसार आगामी चार माह के अन्तर्गत आयोजित की जायेगी।

४०

२६-०५-२०२२

अतिरिक्त निदेशक (प०क०) एवं

सदस्य सचिव,

राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड(पीसीपीएनडीटी),

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,

राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ पालनार्थ प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमती निर्मला सहरिया, माननीय विधायक, गांव परानियां तहसील किशनगढ़ जिला बारां, एन-39, गांधी नगर, जयपुर राजस्थान (nirmlasahariya88@gmail.com)
4. श्रीमती मन्जू देवी, माननीय विधायक, इण्डियन पब्लिक स्कूल के पीछे, बाईपास रोड, जायल, जिला नागौर, राजस्थान (omprakash941336@gmail.com)
5. श्रीमती इन्द्रा मीणा, माननीय विधायक, इन्द्रा कॉलोनी, गुप्तेश्वर रोड, तह. बौली, जिला सवाईमाधोपुर- 322023(indrameenamla@gmail.com)
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
(Email :- ph-sje@rajasthan.gov.in)
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
(Email :- secretarylaw.rajasthan@rediffmail.com)
8. निजी सचिव शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
(Email:- adc.wcd@rajasthan.gov.in) (Email:- director.wcd@rajasthan.gov.in)
9. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
(Email:- dir.ayu@rajasthan.gov.in) (Email:- addldir.ayu@rajasthan.gov.in)
10. निजी सहायक, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सहायक, अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी(पीसीपीएनडीटी), मिशन निदेशक(एनएचएम) एवं संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. निजी सहायक, जिला समुचित प्राधिकारी(पीसीपीएनडीटी) एवं जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
13. श्री बी.एस. नन्दवाना, सदरस्य राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं उप सचिव, विधि (वादकरण) विधि विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
14. रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल कॉन्सिल, बाईस गोदाम, राजस्थान, जयपुर।
(Email:- rajmedcouncil@yahoo.co.in)
15. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
16. निजी सहायक, निदेशक(आरसीएच) एवं निदेशक(परिवार कल्याण) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
17. निजी सहायक, निदेशक (SIHFW), राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, राजस्थान जयपुर।
18. अतिरिक्त निदेशक (परिवार कल्याण) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
19. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, समस्त जोन राजस्थान।

20. जिला नोडल अधिकारी(पीसीपीएनडीटी) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त राजस्थान को पालनार्थ।
21. उपखण्ड समुचित प्राधिकारी(पीसीपीएनडीटी), समस्त उपखण्ड राजस्थान।
22. डॉ. एस.एल. शर्मा, सामाजिक विज्ञानी, सामाजिक विज्ञान विभाग, ई-3, राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान, जयपुर (Email :- drs1s14@hotmail.com)
23. श्री एस.पी. दाधीच, विधि विशेषज्ञ, राजस्थान जयपुर।
24. डॉ. पायल भारद्वाज, महिला कार्यकर्ता, राजस्थान जयपुर। पता:- 7/58, एनईबी हाउसिंग बोर्ड जिला अलवर, राजस्थान। (Email:-dr.payalbhardwaj@gmail.com)
25. मंजू शर्मा, महिला कार्यकर्ता, 396, उद्योग नगर निवास रोड, झोटवाडा, राजस्थान जयपुर (Email :- manjusharma3041@gmail.com)
26. अंजू शर्मा, वरिष्ठ आचार्य गायनी एवं महिला रोग विशेषज्ञ, मैक्सवेल हॉस्पिटल झोटवाडा रोड दूध मण्डी चौराहा, राजस्थान जयपुर (Email :- apmat87@gmail.com)
27. डॉ. इन्दू गौतम, सहायक आचार्य गायनी एवं महिला रोग विशेषज्ञ, जनाना हॉस्पिटल, राजस्थान जयपुर (Email :- indug75@gmail.com, mrc.jaipur@hotmail.com)
28. डॉ. विवेक शर्मा, शिशु रोग विशेषज्ञ, राजस्थान जयपुर। पता:- 1/1291, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। (Email :- dr.vivek_sharma@rediffmail.com)
29. डॉ. एम. एल. गुप्ता, आनुवांशिकी विज्ञानी, जे. के. लोन हॉस्पिटल, राजस्थान जयपुर ((Email :- drmlguptajpr@yahoo.com, pediatricemedicinesms@gmail.com))
30. डॉ. राजीव आहूजा, रेडियोलॉजिस्ट, 37 लक्ष्मण पथ श्याम नगर, सोडाला, राजस्थान जयपुर (Email :- drrajivahuja@rediffmail.com)
31. डॉ. मनोज कुमार जैन, सोनोलॉजिस्ट, राजस्थान जयपुर।
32. परियोजना निदेशक(पीसीपीएनडीटी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
33. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पीसीपीएनडीटी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
34. सहायक निदेशक अभियोजन (पीसीपीएनडीटी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
35. श्री गौरिश वशिष्ठ, वैज्ञानिक-सी एनआईसी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
36. स्टेट डेमोग्राफर एवं मुल्यांकन अधिकारी, डेमोग्राफर सेल, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
37. प्रभारी पीबीआई / प्रभारी अपराध शाखा / राज्य समन्वयक / विधि विशेषज्ञ / स्वास्थ्य प्रबंधक / एसएम एण्ड ईओ एवं सलाहकार आईईसी / सलाहकार विधि (एनएचएम), मुख्यालय जयपुर।
38. जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, समस्त राजस्थान को पालनार्थ भेजकर लेख है कि अनुपालना रिपोर्ट अविलम्ब राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
39. सेन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय।
40. संबंधित रक्षित पत्रावली।


 परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
 राजस्थान, जयपुर।